... पिता गोदा माली निवासी करणपुर हाल रूपावली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक : 25.09.17

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में पेश कर निवेदन किया कि मौजा करणपुर पटवार मण्डल करणपुर तहसील वल्लभनगर में आराजी नम्बर 2503/13 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम पर स्थित है । कहा कि मौजा करणपुर की आराजी नम्बर 2503मी. रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि सम्वत 2038 से 2041 में अंकित थी और राज्य सरकार ने उक्त भूमि में से 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पिता गोदा पुत्र रोड़ा माली को आवॅटन की । उक्त भूमि नामान्तरकरण 1535 से यह भूमि आवंटी गोदा के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित की गई । जिसकी नकल जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर

सम्वत 2038—41 पेश की गई है । कहा कि उक्त आराजी नम्बर 2503मीन रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा में से 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि उॅकार गणेश पिता किसना माली को आवंटन की गई और नामान्तरकरण संख्या 1536 से आवंटी उॅकार गणेश के नाम अंकित कर दी गई । इस जमाबन्दी के बाद रोटेशन की जमाबन्दी लिखी गई तब पटवारी हल्का ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के कलम नम्बर एक में वर्णित आराजी नम्बर 2503/13 अपनी मनमर्जी से अंकित कर दिया जबकि पटवारी हल्का को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं था । यह त्रुटि रोटेशन की जमाबन्दी लिखते वक्त सेवन से हुई है ।

2. निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता गोदाजी को आवंटित भूमि गोदा के नाम नामान्तरकरण संख्या 1535 से अंकित की गई तब सेवन से आराजी नम्बर 2503/13 अंकित कर दिया जबकि गोदाजी को जो भूमि आवंटित की गई वह पूर्व में इसी खसरा नम्बर 2503/2 से लगी हुई भूमि आवंटित की गई और मौके पर भी इसी अनुसार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिससे आराजी नम्बर 2503/13 के बजाय आराजी नम्बर 2503मी. रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा अंकित कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

3. अतः निवेदन है कि मौजा करणपुर की आराजी नम्बर 2503/13 के बजाय शुद्धि करा आराजी नम्बर 2503मी. अंकित कराये जाने का आदेश बक्षाया जावे ।

4. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत 2051—54, नकल जमाबन्दी सम्वत 2042—45, 2071, नकल जमाबन्दी सम्वत 2038—41, पेश की गई है ।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विपक्षी तहसीलदार वल्लभनगर उपस्थित होकर जबाब पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की ताईद कर निवेदन किया कि उक्त त्रुटि जमाबन्दी रोटेशन तैयारी में सेवन से हुई त्रुटि को सही किया जाना आवश्यक है ।

6. हमनें प्रकरण के तथ्यों पर मनन् किया । दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2051—54, नकल जमाबन्दी सम्वत 2042—45, 2071, नकल जमाबन्दी सम्वत

2038–41, का अवलोकन किया । हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि मौजा करणपुर पटवार मण्डल करणपुर तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी नम्बर 2503/13 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम पर स्थित है । मौजा करणपुर की आराजी नम्बर 2503मी. रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा भूमि सम्वत 2038 से 2041 में अंकित थी इस भूमि में से 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पिता गोदा पुत्र रोड़ा माली को आवॅटन की । नामान्तरकरण संख्या 1535 से यह भूमि आवंटी गोदा के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित की गई । जिसकी ताईद नकल जमाबन्दी सम्वत 2038–41 होता है । उक्त आराजी नम्बर 2503मीन रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा में से 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि उॅकार गणेश पिता किसना माली को आवंटन की गई और नामान्तरकरण संख्या 1536 से आवंटी उॅकार गणेश के नाम अंकित कर दी गई । इस जमाबन्दी के बाद रोटेशन की जमाबन्दी लिखी गई तब पटवारी हल्का द्वारा सेवन से आराजी नम्बर 2503/13 अंकित कर दी जाहीर आया है कि यह त्रुटि रोटेशन की जमाबन्दी लिखते वक्त सेवन से हुई है । राजपैरोकार तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा भी इन्हीं तथ्यों का जिक्र किया है । साथ ही संशोधन किये जाने का आग्रह किया है । सम्पूर्ण तथ्यों से प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

7. अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार वल्लभनगर को आदेशित किया जाता है कि मौजा करणपुर पटवार मण्डल करणपुर तहसील वल्लभनगर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगणों के खाते में आराजी नम्बर 2503/13 अंकित है उसके स्थान पर आराजी नम्बर 2503मी. प्रतिस्थापित किया जावे ।

8. तहसीलदार वल्लभनगर को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

9. निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया ।

(अनिल कुमार शर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर

उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर